भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 680

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

आधार आधारित ई-केवाईसी

680. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आधार-आधारित ई-केवाईसी और लाभार्थी सत्यापन पूरा करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को बार-बार अनुस्मारक और समय-सीमाएं जारी की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब सरकार की प्रशासनिक चूकों के परिणामस्वरूप पंजाब में कुल कितने राशन कार्डों को "सत्यापन लंबित", "केवाईसी लंबित" या "हटाने के लिए प्रस्तावित" श्रेणियों में रखा गया है;

(ग) 2022 से पिछले तीन वर्षों में पंजाब में पात्र राशन कार्डधारकों की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने सत्यापन के दौरान पाई गई देरी, अनियमितताओं या विसंगतियों के संबंध में पंजाब सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है; और

(ड.) पंजाब में पात्र गरीब परिवारों की राजसहायता वाले खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने पंजाब सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को कई पत्र जारी कर एनएफएसए के अंतर्गत आधार-आधारित ई-केवाईसी और लाभार्थी सत्यापन समय पर पूरा करने का आग्रह किया है। इनमें बार-बार अनुस्मारक, अर्धशासकीय पत्र और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा शामिल हैं।

(ख): केंद्रीय एनएफएसए रिपोजिटरी के अनुसार, पंजाब में राशन कार्डों और ई-केवाईसी की स्थिति इस प्रकार है:-

- **एनएफएसए के अंतर्गत कुल राशन कार्ड:** 40,93,003
- **कुल एनएफएसए लाभार्थी:** 1,51,67,073
- **वे लाभार्थी जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है:** 20,69,338

...2/-

इसके अलावा, सही लक्ष्य निर्धारण अभ्यास के तहत, क्षेत्र सत्यापन और उचित प्रक्रिया के बाद राज्य द्वारा चिह्नित लाभार्थियों और क्षेत्र के सत्यापन एवं शेष प्रक्रिया के बाद हटाए गए नामों के संबंध में पंजाब को निम्नलिखित आंकड़े बताए गए:

चिह्नित मामले	**हटाए गए मामले**
23,79,400	**2,90,940**

(ग): केंद्रीय एनएफएसए डेटा भंडार के अनुसार, पंजाब में राशन कार्डों की वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	**कुल राशन कार्ड**
2022	40,67,879
2023	37,87,561
2024	41,76,455
2025 (आज की तारीख में)	40,93,003

(घ): इस विभाग द्वारा राज्यों को कई पत्र भेजे गए, तत्पश्चात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई समीक्षा बैठकें की गईं, तथा राज्यों को उचित लक्ष्यीकरण डैशबोर्ड में प्रदर्शित बड़ी संख्या में चिह्नित मामलों पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ई-केवाईसी पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई।

(ङ): जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के अंतर्गत पात्र परिवारों की पहचान एनएफएसए के तहत राज्य सरकारों की वैधानिक जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार उचित लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और तकनीकी मध्यस्थता के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है।

प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- उचित लक्ष्यीकरण डैशबोर्ड का विकास और प्रावधान, जो चिह्नित लाभार्थियों को विश्लेषणात्मक रूप से उजागर करता है ताकि राज्य इन मामलों को जमीनी स्तर पर सत्यापित कर सकें और अपने डेटाबेस को ठीक कर सकें।
- समय पर ई-केवाईसी पूरा करने और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ नियमित परामर्श, पत्राचार और समीक्षा बैठकें।
- राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन के बाद उचित लक्ष्यीकरण डैशबोर्ड के अंतर्गत चिह्नित मामलों को हटाना/रखना, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को हटाया न जाए।

*****